

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ.7(4) / अकाद / आकाशि / प्रवेश नीति / 2021-22 / 184-190

दिनांक: 7.7.2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
(विधि, राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के अतिरिक्त)
राजस्थान।

विषय:—सत्र 2021-22 में समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय व स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) का ऑनलाईन प्रवेश नवीनीकरण कार्यक्रम निम्न सारणी अनुसार रहेगा:—

क्र.सं.	कार्य का विवरण	समयावधि
1.	स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए प्रवेश नवीनीकरण	08.07.2021 से 22.07.2021
2	स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए ई-मित्र पर फीस जमा करवाना।	09.07.2021 से 31.07.2021
3	स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में ऑनलाईन अध्यापन कार्य।	10.07.2021 से प्रारम्भ


समस्त राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) के लिए पूर्णतः अस्थाई प्रवेश नवीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इसके अन्तर्गत समस्त स्नातक पार्ट प्रथम, द्वितीय तथा स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) के प्रवेशित विद्यार्थियों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करने की ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी एवं इसे महाविद्यालय स्तर से पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थियों का डेटा ई-मित्र पर पोस्ट किया जायेगा। विद्यार्थियों को ई-मित्र के माध्यम से फीस जमा कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

समस्त प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि सभी छात्रों का डेटा निर्धारित तिथि तक आवश्यक ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण कर ई-मित्र पर पोस्ट हो जाये। ई-मित्र पर फीस जमा कराने से सम्बन्धित सूचनाओं को समाचार पत्रों / इलेक्ट्रॉनिक मीडिया / सोशल मीडिया यथा वाट्सएप आदि के माध्यम से विद्यार्थियों को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

विद्यार्थियों का अगली कक्षा में प्रवेश पूर्णतः अस्थाई है एवं राज्य सरकार द्वारा प्रवेश सम्बन्धी लिये गये निर्णयों के अध्वधीन रहेगा।


विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा का प्रीमियम, विद्यार्थी के प्रवेश हेतु फीस जमा कराने के तुरन्त बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुए जमा करवाना सुनिश्चित करें, जिससे कि प्रवेशित विद्यार्थियों का बीमा कवर अतिशीघ्र प्रारम्भ हो जाये।

ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया के क्रियान्वयन में होने वाली सम्भावित शंकाओं के सम्बन्ध में आयुक्तालय के डॉ० संदीप कुमार (9829066259) (नोडल अधिकारी-ऑनलाईन एडमिशन) / श्री बनफूल अग्रवाल (0141-2706106) से कार्यालय समय में दूरभाष नम्बर या ई मेल dce.oap@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह अति महत्वपूर्ण व समयबद्ध प्रक्रिया है। अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुये, समय-सारणी अनुसार प्रक्रिया सम्पन्न करावें। समस्त प्रवेश प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों की पालना पूर्णतः सुनिश्चित करें।


(संदेश नायक (IA))
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव एवं आयुक्त, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमती ज्योति लुहाडिया, अतिरिक्त निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को भेजकर लेख है कि वे समस्त ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही एवं ई-मित्र पर फीस जमा करवाने की सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु।।
6. रक्षित पत्रावली।


(डॉ० सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक(अकादमी)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान